यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला खान अधिकारी, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला खान अधिकारी, देहरादून के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री डी0के0 श्रीवास्तव एवं कलवन्त सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 21.09.2017 से 25.09.2017 और 03.03.2018 से 13.03.2018 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. (1)परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी0के0गुप्ता, नीरज कुमार श्रीवास्तव एवं अंशुमन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 17.10.2016 से 26.10.2016 तक श्री राजकुमार, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 10/2011 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: – सम्पूर्ण देहरादून जनपद

3. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का व्यौरा निम्नवत है:

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2014-15	383.50
2015-16	2484.07
2016-17	3236.11

(ii)(ब) बजट का विवरण:-

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
		लागू नही						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
		शून्य			

(iii)इकाई को बजट आवंटन बजट प्राप्त नहीं होता है गैर राजस्व प्राप्ति को सम्मिलित न करते हुए इकाई ---A---श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव- निदेशक- अपर निदेशक- संयुक्त निदेशक- उपनिदेशक- खान अ धकारी- खान निरीक्षक

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में जिला खान अ धकारी, देहरादून को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला खान अ धकारी, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्वः माह 03/2017, को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग 2 क</u>

<u>प्रस्तर-</u> 1<u>:</u> रिवर ट्रेनिंग शुल्क, वकास शुल्क व क्षतिपूर्ति शुल्क जमा न कराये जाने के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति `35.16 लाख ।

उत्तराखंड, औद्योगिक विकास विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं॰ 1033/VII-1/2015/146-ख/2010 देहरादून, दिनाँक 31-07-2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर, ईंट आदि) नीति, 2015 के बिन्दु 2(झ) के अनुसार विकासनगर का मैदानी भाग मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बिन्दु 3(3) के अनुसार मैदानी क्षेत्र हेतु उपखनिज की रॉयल्टी दर ततसमय निर्धारित रॉयल्टी की दर का शत-प्रतिशत है। बिन्दु सं॰ 3(3) के ही अनुसार रिवर ट्रेनिंग रॉयल्टी का 15% एवं विकास शुल्क रॉयल्टी का 10% अतिरिक्त रूप से देय था और यह निजी पट्टाधारकों पर भी लागू था। पुनः उत्तराखंड शासन, औद्योगिक विकास विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं॰ 1689/VII-1/80-ख/2016 देहरादून, दिनाँक 28.10.2016 द्वारा शासन के कार्यालय ज्ञाप सं॰ 1585/80-ख/2016 दिनाँक 10.10.2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 के बिन्दु सं॰-7 के प्रावधानानुसार संशोधन करते हुये उप-खनिज की निकासी हेतु निजी भूमि में रिवर ट्रेनिंग रॉयल्टी का 15% एवं विकास शुल्क रॉयल्टी का 10% एवं क्षतिपूर्ति रॉयल्टी का 15% किये जाने का प्रावधान किया गया था।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास विभाग की अधिसूचना सं॰ 1207/VII-1/24-ख/2007 दिनाँक 07.08.2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार)(संशोधन) नियमावली, 2015 द्वारा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2001 के नियम-21 की प्रथम अनुसूची का संशोधन करते हुये बिन्दु-8 के अनुसार विहित प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो के लिये रॉयल्टी की दर `200/घन मी॰ निर्धारित की गयी थी।

कार्यालय जिला खान अधिकारी, देहरादून की लेखापरीक्षा में खनन पट्टों से संबन्धित पत्रावलियों की नमूना जाँच में पाया गया कि श्री अजय डबराल पुत्र श्री डी॰एल॰ डबराल, निवासी सुंदरवाला, रायपुर, देहरादून को ग्राम-रामपुर कलाँ, तहसील-विकासनगर के क्षेत्रांतर्गत खसरा संख्या-1175 में 2.344 है॰ नाप भूमि में उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर के चुगान हेतु उत्तराखण्ड सरकार, औध्योगिक विकास विभाग के शासनादेश सं॰ 41/vii-1/06-ख/2015 दिनाँक 16.01.2015 द्वारा पट्टा स्वीकृत किया गया जिसका पट्टा विलेख दिनाँक 07.12.2015 को निष्पादित किया गया था।

उक्त पट्टाक्षेत्र में उपलब्ध खनिज की मात्रा 77,352 टन हेतु रॉयल्टी की दर `200/घन मी॰ (` 90.90/टन) की दर से प्रथम वर्ष हेतु रॉयल्टी ` 70,31,297/ निर्धारित की गयी थी तथा आगामी वर्षों हेतु वार्षिक 25 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये द्वितीय वर्ष हेतु कुल ` 87,89,122/- रॉयल्टी की राशि निर्धारित की गयी थी जिसकी त्रैमासिक किश्त ` 21,97,281/- थी। पट्टाविलेख की जाँच में पाया गया कि ततसमय पट्टाधारकों द्वारा नियमानुसार देय रिवर ट्रेनिंग रॉयल्टी का 15% एवं विकास शुल्क रॉयल्टी का 10% आंगणन में सम्मिलित नहीं किया गया था।

अतः नियमानुसार पट्टाधारक द्वारा प्रथम पट्टावर्ष हेतु निर्धारित रॉयल्टी ` 70,31,297/ पर रिवर ट्रेनिंग व विकास शुल्क कुल 25% की दर से `17,57,824/- देय था। इसके अतिरिक्त द्वितीय पट्टावर्ष में माह 12/2016 व 03/2017 में देय किश्त ` 43,94,562/- (21,97,281x2) पर रिवर ट्रेनिंग, विकास शुल्क व क्षतिपूर्ति शुल्क कुल 40% की दर से ` 17,57,825/- देय था।

इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा रिवर ट्रेनिंग शुल्क, वकास शुल्क व क्षतिपूर्ति शुल्क कुल ` ३5,15,649/- (17,57,824+35,15,649) जमा नहीं कराया गया था। जिसके परिणामस्वरूप वभाग धनरा श ` ३5,15,649/- के राजस्व प्राप्ति से वं चत रहा ।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में कहा क पट्टाधारक को नोटिस भेजकर तथा प्रकरण की जाँच कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है ।

<u>भाग 2 क</u>

<u>प्रस्तर-2:</u> रॉयल्टी की धनरा श `24.75 लाख का न्यूनारोपण ।

उत्तराखंड उप-खनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के नियम-52 के अनुसार प्रपत्र एम॰एम॰-8 में आवेदन करने पर प्रपत्र एम॰एम॰-10 में अस्थायी खनन अनुज्ञा पत्र जारी कया जायेगा। नियम 54(1) के अनुसार जब नियम-53 के अधीन खनन अनुज्ञा पत्र दिये जाने का आदेश दिया जाये तब प्रार्थी आदेश की सूचना दिये जाने के दिनाँक से 15 दिन के भीतर उक्त आदेश में अनुज्ञात खनिज की कुल मात्रा के लए नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्काल वनिर्दिष्ट दर पर स्वा मत्व (रॉयल्टी) जमा करेगा।

उत्तराखण्ड शासन औध्यो गक वकास अनुभाग की अ धसूचना सं॰ 211/VII-1/24-ख/2007 दिनाँक 26.02.2016 के द्वारा साधारण मट्टी पर देय रॉयल्टी की दर `8.00 प्रति घनमीटर से बढ़ाकर `50.00 प्रति टन निर्धारित की गयी थी।

कार्यालय जिला खान अ धकारी, देहरादून में मट्टी खुदान की अनुज्ञा से संबन्धित पत्रवा लयों की नमूना जाँच में पाया गया क 03 प्रकरणों में साधारण मट्टी पर रॉयल्टी की गणना पूर्व दर `8.00/घन मी॰ से की गयी थी जब क दिनाँक 26.02.2016 से साधारण मट्टी पर रॉयल्टी की दर उपरोक्तानुसार `50.00/टन निर्धारित कर दी गयी थी। रॉयल्टी की गणना त्रुटिपूर्ण कये जाने के परिणामस्वरूप 03 अनुज्ञाधारकों द्वारा `24,74,520/- रॉयल्टी के रूप ,में कम जमा कराये गये । ववरण निम्नवत है:

क्र सं॰	अनुज्ञाधारक का नाम (सर्वश्री)	अनुज्ञा स्वीकृति की ति थ	मट्टी की मात्रा (घन मी॰)	निकासी (टन)	देय रॉयल्टी (@50/टन) (` में)	जमा रॉयल्टी (`)	अन्तर (`)

1	राजपाल अहलूवा लया, 48-B, रेस कोर्स, देहरादून	11.04.2016	11825	26015 (11825 X 22)	13,00,750	94600 (04.04.16)	12,06,150
2	सुपर टेक ल०, 11/9 आशीर्वाद एंकलैव, देहरादून	12.05.2016	10435	22957 (10435 X 2.2)	11,47,850	83480 (12.05.16)	10,64,370
3	अशोक राणा, 35 धमावाला, देहरादून	03.05.2016	2000 (2000X 2.2)	4400	2,200,00	16000 (02.05.16)	2,04,000
योग							24,**74,520/-**

अतः निर्धारित रॉयल्टी की दर से आंगणन न करने पर उपरोक्तानुसार वभाग को `24,74,520/- राजस्व के रूप में कम प्राप्त हुये।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया क प्रकरणों की जाँच कर, संब धतों को नोटिस भेजकर, राजस्व की वसूली कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

अतः राजस्व क्षति ` 24,74,520/- का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 2 क</u>

<u>प्रस्तर-3:</u> रॉयल्टी की धनरा श वलम्ब से जमा कराये जाने पर ब्याज का अनारोपण ` 9.05 लाख ।

उत्तराखण्ड सरकार उद्योग (च) वभाग की वज्ञप्ति दिनाँक 26.08.2001 द्वारा प्रख्यापत उत्तराखंड उप-खनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के नियम-58(1) के अनुसार राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमत्त प्राधकृत कोई अधकारी, पट्टेदार पर इस बात की सूचना तामील करने के पश्चात क वह सूचना प्राप्त होने के दिनाँक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को देय स्वामत्व (रॉयल्टी) सहित पट्टे के अधीन देय कोई धनराश या अपरिहार्य भाटक का भुगतान करे। नियम 58(2) के अनुसार उपनियम (1) के अधीन सूचना की अवध के समाप्ति के पश्चात इस नियमावली के अधीन राज्य सरकार को देय कसी भाटक, स्वामत्व, सीमांकन शुल्क और कन्ही अन्य देयों पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज लया जा सकता है ।

कार्यालय जिला खान अधकारी, देहरादून की लेखापरीक्षा में खनन पट्टों से संबन्धित पत्रावलयों की नमूना जाँच में पाया गया क श्री अजय डबराल पुत्र श्री डी॰एल॰ डबराल, निवासी सुंदरवाला, रायपुर, देहरादून को ग्राम-रामपुर कलाँ, तहसील-वकासनगर के क्षेत्रांतर्गत खसरा संख्या-1175 में 2.344 है॰ नाप भूम में उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर के चुगान हेतु उत्तराखण्ड सरकार, औध्योगक वकास वभाग के शासनादेश सं॰ 41/vii-1/06-ख/2015 दिनाँक 16.01.2015 द्वारा पट्टा स्वीकृत कया गया जिसका पट्टावलेख दिनाँक 07.12.2015 को निष्पादित कया गया था ।

पट्टावलेख की जाँच में पाया गया क पट्टाधारक को प्रथम वर्ष (दिसम्बर 2015 से) में `70,31,297/- की पट्टा-राश (स्वामत्व) जमा करना था जिसकी प्रथम कश्त `17,57,825/- दिनाँक 20 दिसंबर 2015 को जमा की जानी थी। पट्टा की द्वतीय कश्त दिनाँक 10/03/2016 व तृतीय कश्त दिनाँक 10/07/2016 को ` 17,57,825/प्रत्येक जमा की जानी थी। द्वतीय पट्टावर्ष में 25% की वृद्ध करते हुये ` 21,97,281/- कश्त निर्धारित की गयी थी जो क उक्तानुसार संबन्धित तिथयों पर देय थी।

पट्टावलेख के भाग-2 के अंतर्गत खनन पट्टे हेतु आरक्षत अपरिहार्य भाटक/पट्टा धनराश और स्वामत्व तथा उसके भुगतान की रीति की शर्त के अनुसार पट्टा-धनराश की कश्त समयान्तर्गत भुगतान न करने पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज वसूल कये जाने का प्रावधान था। पत्रावली की जाँच में पाया गया क पट्टाधारक द्वारा प्रथम पट्टा-वर्ष की पट्टा राश की कश्तें समय से जमा न करा वलम्ब से जमा करायी गयी थी। इसके अतिरिक्त माह 03/2017 की कस्त भी वलम्ब से जमा की गयी थी जिनपर नियमानुसार ब्याज देय था। ववरण निम्नवत है:

क्रम सं॰	पट्टा-वर्ष	पट्टा राश	निर्धारित दिनाँक	जमा राश (रु)	जमा दिनाँक	वलम्ब	ब्याज (रु)	अभयुक्ति
		1757825 (प्रथम कश्त)	20.12.2015	1757825	16.04.2016	04 माह	140626	-
		1757825	10.03.2016	2350000	16.12.2016	09	316409	`1757825

1	प्रथम	(द्वितीय किश्त)				माह		पर विलम्ब हेतु ब्याज
		1757825 (तृतीय किश्त)	10.07.2016	1166000	31.12.2016	06 माह	139878	अवशेष ` 1165650 हेतु ब्याज
2	द्वितीय	2197281 (द्वितीय किश्त)	10.03.2016	2197281	26.10.2017	07 माह	307619	-
		योग					9,04,532.00	

अतः पट्टाधारक से ` 9,04,532/- ब्याज जमा कराया जाना था जो कि लेखापरीक्षा तिथि तक जमा नहीं कराया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि जाँच कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 2 ख</u>

<u>प्रस्तर- 1:</u> वनिय मतिकरण व नवीनीकरण शुल्क की धनरा श `2.50 लाख जमा न कया जाना ।

उत्तराखंड शासन औद्यो गक वकास अनुभाग-1, कार्यालय ज्ञाप सं॰ 1758/VII-1/16/68-रिट/08 देहरादून दिनाँक 19.11.2016 के अंतर्गत उत्तराखण्ड स्टोन क्रैशर अनुज्ञा नीति 2016 के बिन्दु 2(छ) के अनुसार जिला देहरादून का पर्वतीय क्षेत्र भी सम्मि लत है। उपरोक्त नीति के बिन्दु 9 के अनुसार पूर्व से स्था पत/संचा लत स्टोन क्रैशर स्वा मयों को इस नीति की घोषणा के बाद 15 दिन के भीतर अपने प्लांट की क्षमता (टन/घण्टा के अनुसार) घो षत कया जाना था। घो षत प्लांट की क्षमता के अनुसार प्लान्ट का वनियमतिकरण जिला धकारी एवं निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा कया जाना था। वनियमतिकरण शुल्क की गणना घो षत क्षमता के आधार पर नीति के अध्याय-II के अनुसार कया जाना था। इस रा श में से प्लान्ट स्वामी द्वारा जमा कराये गए आवेदन पत्र शुल्क को घटाये जाने के पश्चात अवशेष धनरा श का 50 प्रतिशत धनरा श निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराया जाना था। नीति की घोषणा के एक माह बाद ई प्रपत्र जे केवल वनियमतिकरण प्लान्ट को ही जारी कया जाना था।

अध्याय-II के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में स्टोन क्रैशर प्लान्ट हेतु आवेदन शुल्क की धनरा श `5.00 लाख (क्षमता 100 टन/घण्टा तक) निश्चित की गयी थी। अध्याय-III के अनुसार स्टोन क्रैशर का नवीनीकरण वा षक शुल्क निर्धारित आवेदन शुल्क का 25 प्रतिशत था। अध्याय-IV के बिन्दु-4 के अनुसार प्रत्येक वर्ष प्लान्ट के संचालन हेतु पंजीकरण का नवीनीकरण निदेशक, भूतत्त्व एवं खनिकर्म से कराया जाना आवश्यक था। आगे, अध्याय-I के बिन्दु 5(ड) के अनुसार स्टोन क्रैशर स्वामी द्वारा वा षक शुल्क जमा न कराये जाने की दशा में तैयार माल के परिवहन हेतु संबन्धित जनपद के खान अ धकारी द्वारा ई-प्रपत्र जे जारी नहीं कया जायेगा।

कार्यालय जिला खान अ धकारी, देहरादून में स्टोन क्रैशर की पत्रवा लयों की नमूना जाँच में पाया गया क मै॰ गैमन इण्डिया ल॰ को पर्वतीय क्षेत्र हेतु 5.080 एकड़ भू म पर 600 टन प्रतिदिन क्षमता का स्टोन क्रैशर स्था पत/संचा लत करने के लए `2,50,000/- आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त 03 वर्ष के लए शासन के कार्यालय ज्ञाप सं॰ 779/VII-I/13-स्टोन क्रैशर/2015 दिनाँक 11.06.2015 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

पत्रावली की जाँच में पाया गया क स्टोन क्रैशर स्वामी द्वारा नियमानुसार अपने प्लान्ट का वनिय मतिकरण शुल्क `1,25,000/- (5,00,000 - 2,50,000/2) एवं वा षक नवीनीकरण शुल्क ` 1,25,000/- (5,00,000X25%), कुल `2,50,000/- जमा नहीं कया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में कहा कि सर्वश्री गैमन इण्डिया लि0 से विनियमितिकरण व नवीनीकरण की वांछित धनराशि शीघ्र जमा करवा ली जायेगी।

अतः स्टोन क्रैशर संचालकों द्वारा नियमानुसार विनियमितिकरण शुल्क ` 1,25,000/- व नवीनीकरण शुल्क `1,25,000/- (कुल ` 2,50,000/-) जमा न कराये जाने का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ख

प्रस्तर:02 स्टाम्प शुल्क का न्यूनारोपण ` 0.47 लाख।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम **(भा॰ स्टा॰ अ धनियम)**, 1899 की धारा 33(1) में उपबन्धित है कि साक्ष्य लेने के लिये अधिकृत प्रत्येक पदाधिकारी एवं **सार्वजनिक कार्यालय** पर अधिकार रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति सिवाय एक पुलिस अधिकारी के, उस **वलेख** को जब्त कर लेगा यदि उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उस साक्ष्य पर उचित मूल्य के स्टाम्प शुल्क का भुगतान नही किया गया है। आगे, **महानिरीक्षक निबन्धन** के द्वारा निर्गत परिपत्र (सितम्बर 2013) में आदेश दिया गया कि विलेख को इस प्रकार जब्त करने वाला अधिकारी उसकी एक प्रति जिलाधिकारी को भेजेगा। धारा 35 के द्वारा उक्त व्यवस्था को और मजबूती प्रदान करते हुए यह निर्धारित किया गया है कि उचित स्टाम्प शुल्क **के बिना** बिलेख साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नही होगें। भा॰ स्टा॰ अधिनियम की अनुसूची 1 ब. **के** अनुच्छेद 35 एवं भारतीय पंजीयन अधिनियम **(भा॰ प॰ अ धनियम)**, 1908 की धारा 17(1) (घ) में क्रमशः प्राबधान है कि एक वर्ष से अधिक एवं 30 वर्ष तक की लीज पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया जाये एवं **ऐसी लीज़ों का अनिवार्य पंजीयन** भी किया जाय।

कार्यालय जिला खान अ धकारी, देहरादून के लेखा भलेखों की नमूना जाँच में पाया गया क संलग्न ववरण अनुसार दो स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वा मयों द्वारा प्रस्तुत कराया समझौता वलेखों पर लागू दरों से स्टाम्प शुल्क का भुगतान नहीं कया गया था। कराया समझौता वलखों को मात्र रु 100/प्रत्येक पर ही संपादित कया गया था।

नियमानुसार इकाई द्वारा उक्त वलेखों को जब्त न करने के कारण `47,040/- स्टाम्प शुल्क के रूप में कम प्राप्त हुये।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया क प्रकरण जिला धकारी महोदय को संद भत कर तथा उनके द्वारा की गयी कार्यवाही से लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

अतः स्टाम्प शुल्क `47,040/- के न्यूनारोपण का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
DMO-12/2016-17	01,02,03,04,05,06,07, (कुल 7)	01,02,03,04,05 (कुल 05)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : लागू नहीं

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

व्यय से संबन्धित: - शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -** टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -** टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला खान अ धकारी, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री सुनील पंवार	जिला खान अ धकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति जिला खान अ धकारी, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र